बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0. खगड़िया।

सकारण आदेश

सरकारी अनुदानित खाद्यान्न के कालाबाजारी के आरोप में श्री प्रदीप कुमार, परिवहन–सह–हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्त्ता (डी0एस0डी0), श्री अमृत कुमार, सहायक प्रबंधक, परबत्ता तथा मेसर्स सागर फूड प्रोडक्ट, करना के प्रो0 श्री रामसागर चौधरी पर श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी–सह–प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, परबत्ता के द्वारा परबत्ता थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसका थाना कांड संख्या 108/2018 दिनांक 25.03.2018 है।

तत्कालीन जिलाधिकारी, खगड़िया का ज्ञापांक 485/रा0खा0नि0 दिनांक 21.04.2018 राज्य खाद्य निगम, खगड़िया में कार्यरत परिवहन हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्त्ता (डी0एस0डी0) श्री प्रदीप कुमार पर अनुदानित सरकारी खाद्यान्न का कालाबाजारी के आरोप में परबत्ता थाना में प्राथमिकी दर्ज होने तथा अनुदानित सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करना निविदा शर्त्तो का उल्लंधन है।

जिसके आलोक में तत्कालीन जिलाधिकारी, खगड़िया के द्वारा राज्य खाद्य निगम, खगड़िया से परिवहन हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्त्ता (डी0एस0डी0) के रूप में श्री प्रदीप कुमार को कार्य करने हेतु किया गया एकरारनामा को तत्कालीक प्रभाव से रद्द किया जाता है तथा एकरारनामा के समय जमा किये गये 5 लाख का सुरक्षित जमानत राशि एवं 10 लाख का बैंक गारंटी की राशि भी जप्त की जाती है एवं काली सूची में डालने की अनुशांसा की गई थी।

चुंकी मामला अनुदानित खाद्यान्न की कालाबाजारी से संबंधित है एवं जिला प्रशासन के पदाधिकारी द्वारा कालाबाजारी करते हुए घटना स्थल पर वाहन संख्या **BR34G-3825** पकड़ा गया था।

दिनांक 25.06.2018 को आयोजित जिला परिवहन समिति की बैठक में समिति के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री प्रदीप कुमार परिवहन हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्त्ता (डी0एस0डी0) के द्वारा एकरारमाना के समय जमा की गई बैंक ड्राफ्ट एवं बैंक गारंटी को जप्त करते हुए काली सूची में डालने का निर्णय लिया गया है।

अतः वाहन संख्या **BR34G-3825** से अनुदानित सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करने के आरोप में आवश्यक वस्तु अनिधनियम 1955 की धारा 07 एवं

09 के तहत परबत्ता थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 108/2018 दिनांक 25.03.2018 है के लिए श्री प्रदीप कुमार, परिवहन हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्त्ता (डी0एस0डी0) को जिला परिवहन समिति, खगड़िया के अनुशंसा एवं एकरारनामा के अनुसार निहित प्रावधानों के तहत निम्न आदेश पारित किये जाते हैं।

1. श्री प्रदीप कुमार, परिवहन हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्त्ता (डी0एस0डी0) के द्वारा किये गये एकरारनामा को रदद किया जाता है।
2. श्री प्रदीप कुमार, परिवहन हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्त्ता (डी0एस0डी0) खगड़िया को अगले 05 (पांच) वर्षो के लिए परिवहन अभिकर्त्ता को काली सूची में डाला जाता है एवं किसी भी निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया जाता है।
3. श्री प्रदीप कुमार, परिवहन हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्त्ता (डी0एस0डी0) खगड़िया के द्वारा जमा की गई 5 लाख का सुरक्षित जमानत राशि एवं 10 लाख का बैंक गारंटी की राशि भी जप्त की जाती है।

7/7/18

(शहनवाज अहमद नियाजी)
प्रभारी जिला प्रबंधक
राज्य खाद्य निगम, खगड़िया।

ज्ञापांक 809 / दिनांक 7/7/2018 /
प्रतिलिपिः– श्री प्रदीप कुमार, परिवहन हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्त्ता (डी0एस0डी0), खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

7/7/18

(शहनवाज अहमद नियाजी)
प्रभारी जिला प्रबंधक
राज्य खाद्य निगम, खगड़िया।

ज्ञापांक 809 / दिनांक 7/7/2018 /
प्रतिलिपिः– सभी जिलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– उप महाप्रबंधक, परिवहन, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

7/7/18

(शहनवाज अहमद नियाजी)
प्रभारी जिला प्रबंधक
राज्य खाद्य निगम, खगड़िया।